• सावधान...

घर-घर पहुंच रहे फर्जी डिलीवरी एजेंट

शिमला : फर्जी डिलीवरी एजेंट्स द्वारा ग्राहकों से ओटीपी लेकर करने के कई मामले सामने आए हैं। प्रोडक्ट की डिलीवरी के बहाने शातिर ग्राहकों को अपने जाल में फंसाकर ओटीपी प्राप्त करने के बाद कंज्यूमर को चपत लगा देते हैं। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते प्रचलन के साइबर क्राइम भी बढ़े हैं, इसलिए ग्राहकों डेटा को लेकर कई कंपनियां जागरूक और सतर्क हो गई हैं। यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस शुरू कर चुका है। हालांकि, तमाम सेफ्टी फीचर्स के बावजूद जालसाज और साइबर बदमाश ग्राहकों को चपत लगाने में और बैंक खातों से पैसे चुराने में कामयाब रहे हैं।

हाल ही में, फर्जी डिलीवरी एजेंट्स द्वारा ग्राहकों से ओटीपी एकत्र करने के कई मामले सामने आए हैं। साइबर ठग और स्कैमर अक्सर डिलीवरी पैकेज

प्राप्त करने वाले ग्राहकों पर नजर रखते हैं और ओटीपी मांगने के लिए ग्राहकों के पास डिलीवरी एजेंट के रूप में जाते हैं और बहानेबाजी से करके ग्राहकों को चूना लगा देते हैं। शातिर ग्राहकों के पास पहुंचकर ऑर्डर अमाउंट मांगते हैं और दावा करते हैं कि यह प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पर उपलब्ध है। यदि ग्राहक डिलीवरी पैकेज प्राप्त करने से इनकार करते हैं, तो वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वे डिलीवरी रद्द कर रहे हैं।

डीआईजी साइबर क्राइम मोहित चावला का कहना है कि देशभर में ऐसे फर्जी डिलीवरी स्कैम से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। फर्जी ओटीपी स्कैम को रोकने के लिए याद रखें कि संदिग्ध डिलीवरी एजेंट्स के साथ ओटीपी किसी से शेयर न करें, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ओटीपी मांग रहा है उसकी पहचान सत्यापित करें। पैसे देने से पहले डिलीवरी पैकेज खोलकर देख लें।

• संपादकीय...

हिमाचल दिवस

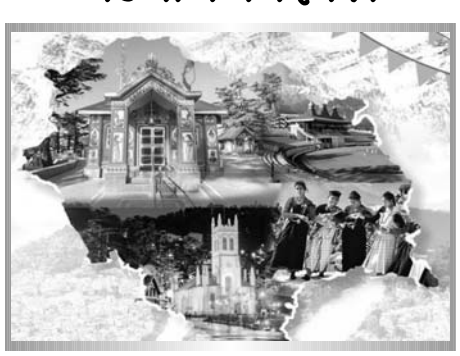

देश की आजादी के 8 महीने बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल सुंदर पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी-बड़ी रियासतों के विलय के साथ केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय तत्कालीन नेतृत्व के साथ प्रजामंडल आंदोलन के नायकों और आंदोलनकारियों को जाता है। हिमाचल प्रदेश के गौरवमई इतिहास में धामी गोली कांड और सुकेत सत्याग्रह आंदोलन का भी विशेष स्थान है। साल 1971 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना। इसके बाद से इस छोटे राज्य ने विकास में कई बड़े राज्यों को भी मात देने का काम किया है। बात चाहे प्रति व्यक्ति आय की हो या बिजली उत्पादन की, हिमाचल हर क्षेत्र में आगे है। इसके अलावा फल उत्पादन, हर घर नल, सामाजिक न्याय के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन और हिमाचल प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं विकास को गतिमान बनाए हुए हैं। हिमाचल में पैदा बिजली देश को रोशन करती है। यहां 27436 मैगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। इस समय 10519 मैगावाट का दोहन हो रहा है। हिमाचल देश की एप्पल बाउल है। यहां सालाना 2 से तीन करोड़ पेटी सेब का उत्पादन होता है। प्रदेश में 50 से अधिक विदेशी किस्मों के सेब उगाए जाते हैं। यहां 7.93 लाख टन फलों का उत्पादन है। इसमें 81.2 फीसदी हिस्सा सेब का है। हिमाचल की विधानसभा देश की पहली ई-विधानसभा है। जिसकी कार्यप्रणाली देखने और सीखने के लिए देश के कई राज्यों और अन्य देशों के प्रतिनिधि भी पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवाओं और रेल लाइन को आगे बढ़ाने पर भी तेजी से काम चल रहा है। यहां साक्षरता दर करीब 87 फीसदी है। हिमाचल में स्कूल की संख्या 10 हजार 758 कॉलेजों की संख्या 166 है। विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल में 3000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान हैं। यहां एम्स भी फंक्शनल हो चुका है और छह अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित रीजनल कैंसर सेंटर की सुविधा है। पहाड़ों में तो हिमाचल अव्वल है ही, लेकिन साथ ही अन्य देशों को भी अपने विकास से टक्कर दे रहा है।

■ **अनल पत्रवाल**
संपादक, हिमाचल अभी अभी

एचपीयू से संबद्ध कॉलेज लेंगे चार वर्षीय ऑनर्स

नीति के अनुसार चार वर्षीय यूजी डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च प्रदेश के चुनिंदा कॉलेजों में ही शुरू की जा सकेगी। कॉलेज ही ऑनर्स, रिसर्च डिग्री देने को उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं के पूरा होने पर ही विश्वविद्यालय से इसके लिए अनुमति लेंगे।

अधिकतर कॉलेज तीन साल की ही यूजी डिग्री कोर्स को करवाना जारी रखेंगे। एनईपी के लागू होने पर यूजी छात्रों के पास तीन या चार साल की डिग्री पूरी करने की अवधि में बीच में डिग्री को अधूरी छोड़ फिर से कुछ अंतराल के बाद उसे पूरा करने की सुविधा जरूर मिलेगी...

● लेखराज धरटा/शिमला

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 से संबद्ध कॉलेजों में एनईपी-2020 को लागू करने के लिए सिलेब्स को तैयार कर उसे मंजूर करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। नीति के अनुसार चार वर्षीय यूजी डिग्री विद ऑनर्स और रिसर्च प्रदेश के चुनिंदा कॉलेजों में ही शुरू की जा सकेगी। कॉलेज ही ऑनर्स, रिसर्च डिग्री देने को उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं के पूरा होने पर ही विश्वविद्यालय से इसके लिए अनुमति लेंगे। अधिकतर कॉलेज तीन साल की ही यूजी डिग्री कोर्स को करवाना जारी रखेंगे। एनईपी के लागू होने पर यूजी छात्रों के पास तीन या चार साल की डिग्री पूरी करने की अवधि में बीच में डिग्री को अधूरी छोड़ फिर से कुछ अंतराल के बाद उसे पूरा करने की सुविधा जरूर मिलेगी। एक साल यानि दो सेमेस्टर पूरे करने पर छात्र को यूजी सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

इसमें छात्र को 40 क्रेडिट और वोकेशनल कोर्स के चार क्रेडिट प्राप्त करने ही होंगे। दो साल यानि चार सेमेस्टर पूरे करने और 80 क्रेडिट और चार वोकेशनल कोर्स के क्रेडिट प्राप्त करने पर यूजी डिप्लोमा विवि से मिल जाएगा। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को तीन साल के भीतर फिर से अपनी डिग्री की पढ़ाई को पूरा करने को एंट्री करनी होगी। छात्र को सात साल में अपनी तीन साल की डिग्री पूरी करने को मिलेंगे। यूजी की तीन साल की डिग्री को पूरा करने को छात्र को न्यूनतम 120 क्रेडिट प्राप्त करना जरूरी होगा, जबकि चार वर्षीय यूजी डिग्री शुरू करने पर छात्र को न्यूनतम 160 क्रेडिट प्राप्त करना आवश्यक होगा, तभी उन्हें ऑनर्स, रिसर्च के साथ चार वर्षीय डिग्री विवि से मिल पाएगी। तीन साल छह सेमेस्टर पूरे करने के बाद छात्र तीन अतिरिक्त कोर्स पढ़कर ऑनर्स या रिसर्च को चुन सकेंगे।

पहले छह सेमेस्टर में 75 फीसदी अंक अर्जित करने वालों को ही रिसर्च डिग्री में प्रवेश

यूजी की चार वर्षीय रिसर्च डिग्री में सिर्फ उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने पहले छह सेमेस्टर तीन साल में 75 फीसदी या इससे अधिक अंक अर्जित किए होंगे। ऐसे छात्रों को यूनिवर्सिटी या कॉलेज फैकल्टी के तहत रिसर्च करनी होगी। उन्हें इसके 12 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे। आनर्स के लिए तीन विषयों में 12 क्रेडिट लेने पर ही डिग्री मिल सकेगी। चार साल की ऑनर्स या विद रिसर्च डिग्री के लिए कॉलेज के पास पुस्तकालय, जर्नल, कंप्यूटर लैब और सॉफ्टवेयर, लैबोरेटरी के अलावा दो स्थायी पीएचडी सुपरवाइजर के रूप में कार्य करने को फैकल्टी का होना जरूरी होगा।

चार वर्षीय आनर्स और रिसर्च के साथ डिग्री के लिए तैयार किया जा रहा सिलेब्स- प्रो. शिवराम

विवि के अधिष्ठाता अध्ययन और एनईपी-2020 लागू करने को बनी कोर कमेटी के अध्यक्ष बीके शिवराम ने कहा कि विवि एनईपी के डाक्यूमेंट के अनुसार चार यूजी की चार वर्षीय आनर्स और रिसर्च डिग्री के लिए सिलैब्स तैयार कर रहा है, यह कॉलेजों और शिक्षा विभाग, कॉलेजों पर लागू करने पर निर्भर करेगा, कि कौनसा कॉलेज कौनसी डिग्री देगा।

अब तक 7.23 करोड़ जब्त

शिमला : हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस, आबकारी और अन्य एजेंसियों की ओर से 7,23,13,120 रुपये की अवैध शराब, नकदी, ड्रग्स और आभूषण जब्त किए गए हैं। यह जानकारी राज्य चुनाव विभाग के एक प्रवक्ता ने दी।

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने 21,65,970 रुपये की नकदी जब्त की है। इसके अलावा 65 ग्राम सोने और 3.35 लाख रुपये कीमत के चांदी के आभूषण पकड़े हैं। आबकारी विभाग ने 356195 लीटर अवैध शराब पकड़ी। अब तक 53.80 लाख रुपये मूल्य की 27 किलोग्राम चरस जब्त की जा चुकी है। 97.2 लाख की 1.40 किलोग्राम हेरोइन और लगभग 66 हजार रुपये कीमत का 33.35 किलोग्राम चूरा पोस्त विभिन्न एजेंसियों की ओर से जब्त किए गए हैं।

• सिरमौर...

लाहन समेत भट्ठियां की नष्ट

नाहन : राज्यकर एवं आबकारी विभाग ने सिरमौर के जंगलों में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने पांवटा साहिबके टोका और खारा के जंगलों में 6 किमी पैदल दूरी तय करने के बाद बड़ी मात्रा में अवैध शराब को नष्ट कर दिया। साथ ही चलती भट्ठियां भी तोड़ डालीं। विभाग ने नष्ट की लाहन की कीमत 16 लाख रुपए आंकी है। जानकारी के मुताबिक सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग मनोज घारू और अर्शी शर्मा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान शशिकांत एसटीईओ, एएसटीईओ सनी वर्मा और प्रेम नेगी के साथ साथ एक्साइज चपरासी रामपाल भी शामिल रहे। इस टीम ने पांवटा साहिब में पड़ने वाले टोका-खारा वन क्षेत्र में अवैध शराब लाहन की जब्ती के लिए तलाशी अभियान चलाया। जहां टीम सदस्यों ने घने वन क्षेत्र में 6 किमी की दूरी तय करने के बाद दो अलग-अलग स्थानों पर 16,000 लीटर लाहन का पता लगाया। जहां टीम ने मौके पर लाहन और भट्ठियों को नष्ट कर दिया। हालांकि इस दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि टीम के पहुंचने से पहले इस अवैध कारोबार में जुटे लोग मौके से भाग निकले।

• महिला को बाइक ने मारी टक्कर...

पांवटा साहिब : जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहां एक बाइक ने सड़क किनारे चल रही महिला को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई, जिसकी पहचान किरण देवी पत्नी संतोष दुबे निवासी गांव दुबाह, डाकघर निघासन, तहसील निघासन, जिला लखीमपुर (उत्तरप्रदेश) के तौर पर हुई है। किरण देवी रामपुर घाट में रह रही थी, जो यहां एक निजी कंपनी में कार्यरत थी। वह कंपनी की तरफ जा रही थी कि उसी वक्त बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी।